न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष बाल न्यायालय, अररिया।

Spl. (Child) Case No. 04/2022

मो0 कैफ
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थिति :–
वास्ते विधि विवादित किशोर :– श्री कश्यप कौशल, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :– श्री जयनारायण ठाकुर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

12.08.2022

प्रस्तुत जमानत आवेदन विधि विवादित किशोर मो0 कैफ की ओर से Jokihat PS. Case No. 455/2021 U/S 364(A), 120(B) I.P.C. के संदर्भ में दाखिल किया गया है। उपरोक्त विधि विवादित किशोर के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस जमानत आवेदन को आज प्रचालित किया गया। विधि विवादित किशोर इस वाद में दिनांक–07.05.2022 से सुरक्षित स्थान, किशनगंज में है।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि, सूचक मो0 नैयर आलम के अनुसार दिनांक–18.09.2021 को समय 2 बजे दिन में सूचक का लड़का अफसर नैयर उम्र 4 साल पढ़ने के लिए गया तो उसे किसी ने अपहरण कर लिया एवं सूचक के मोबाईल नं0 6299934867 से 30 लाख रूपया का मांग करने लगा। अज्ञात अभियुक्त सूचक के मोबाईल पर बार–बार फोन करके पैसा लाने एवं नहीं लाने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी देने लगा।

विधि विवादित किशोर के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, विधि विवादित किशोर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है। विधि विवादित किशोर को मात्र शक के आधार पर इस केस में झूठा फंसाया गया है। किशोर को, किशोर न्याय परिषद ने घटना के दिन अवयस्यक होना माना है। किशोर का सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट अच्छा है।

विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक को किशोर न्याय परिषद ने अपने आदेश दिनांक–01.08.2022 के द्वारा घटना तिथि 18.09.2021 को 17 वर्ष 18 माह 17 दिन का पाया है। विधि विवादित किशोर का सामाजिक पृष्ठभूमि प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है जो संतोषजनक है। पर्यवेक्षण गृह अररिया के परामर्शी द्वारा तैयार किया गया आवेदक का प्रोफाईल भी अभिलेख पर उपलब्ध है जो संतोषजनक है। अभिलेख पर उपलब्ध प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई बात न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है कि आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने से वह किसी ज्ञात अपराधी के संगत में आयेगा अथवा वह नैतिक, शारीरिक अथवा मानसिक खतरे में घिर जायेगा अथवा छोड़े जाने से न्याय के उद्वेश्य की विफलता हो जायेगी।

लगातार

12.08.2022 Spl. (Child) Case No. 04/2022

किशोर न्याय अधिनियम की धारा–12 के अनुसार जमानत देने में आरोप की गंभीरता बाधक नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विधि विवादित किशोर का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा उसे आवेदक को मो0 दस हजार रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया